[2021] 9 एस. सी. आर. 882

भारत शंकर निगम लिमिटेड।

बनाम

श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय

(सिविल अपील सं। 7707-7708 2021 का)

14 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति का अनुदान और

नियमितकरण) दूरसंचार विभाग की योजना, 1989-नियमितकरण-आकस्मिक श्रमिक-सेवा अभिलेखों के सत्यापन के लिए गठित अस्थायी स्थिति समिति के सम्मेलन में पाया गया कि प्रतिवादी ने पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं किया-जिसे प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी-केंद्र द्वारा खारिज की गई याचिकाएं

प्रशासनिक न्यायाधिकरण-उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया गया आदेश, मामले को नए निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया-न्यायाधिकरण ने आदेश दिया

प्रत्यर्थी का नियमितीकरण-अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित याचिका,

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-समीक्षा याचिका-खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा तैयार किया गया निष्कर्ष

प्रत्यर्थी का पक्ष लेना समिति द्वारा दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष के विपरीत है-समिति की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि प्रत्यर्थी अपने दावे का समर्थन करने के लिए मूल रूप से रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा

प्रमाणपत्र अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए थे और

ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की गई थी-प्रत्यर्थी के लिए किसी दिए गए कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के लिए लगे रहने की आवश्यकता थी, हालांकि, उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 38 दिनों के लिए सेवा की थी और अयोग्य थे-इसके अलावा, कई कैलेंडर वर्षों में फैले जुड़ाव की अवधि (और योजना के तहत अनिवार्य रूप से एक वर्ष नहीं) को अंतराल को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता था।

उन वर्षों में कृत्रिम विराम के रूप में सेवा-विवादित निर्णय और आदेश रद्द कर दिए जाते हैं- प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - एस. 22 (3)।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1.1 आकस्मिक श्रमिकों के लाभ को सुरक्षित करने के लिए (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) दूरसंचार विभाग की योजना, 1989, प्रत्यर्थी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि वह योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और काम करता है।

882 भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय

12 महीनों में कम से कम 240 दिनों के लिए। समिति ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया कि प्रत्यर्थी ने 1.1.1995 से 31.12.1995 के दौरान 12 कैलेंडर महीनों में अधिकतम 38 दिन पूरे कर लिए हैं और इस तरह आवेदक दूरसंचार विभाग, 1989 की आकस्मिक श्रमिकों (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी स्थिति प्रदान करने का हकदार नहीं है। यद्यपि समिति के इस स्पष्ट निष्कर्ष को न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा नोट किया गया था,

उत्तरदाता के लिए आश्चर्यजनक रूप से नियमितीकरण का आदेश दिया गया था। इसके विपरीत निष्कर्ष के लिए, न्यायाधिकरण ने पहले दौर में उच्च न्यायालय के दिनांकित रिमांड आदेश के संदर्भ में कोई जांच या कोई सबूत दर्ज नहीं किया। निष्कर्ष बिना किसी भौतिक आधार के तैयार किया जाता है। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में निकाला गया निष्कर्ष समिति द्वारा 29.8.2005 पर दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष के विपरीत है। समिति की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि आवेदक अपने दावे का समर्थन करने के लिए मूल रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा था। समिति ने आगे कहा कि प्रमाण पत्र अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए थे और इसकी प्रामाणिकता

समिति के निष्कर्षों से पता चला कि प्रतिवादी ने सेवा की थी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 38 दिनों के लिए और अपात्र था। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश (25.8.2015) में फैसले पर भरोसा किया

उमा देवी में 1989 से 1998 के दौरान सेवा अवधि पर विचार करने के लिए, 240 दिनों की सगाई की गणना करने के लिए। हालाँकि, पात्रता पर विचार करने के इस तरीके को उमा देवी के

अनुपात से समर्थन नहीं मिलता है। उक्त निर्णय का अनुपात अनियमित नियुक्तियों से संबंधित था, जो मुद्दा हालांकि इस मामले में बहुत प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, अनुपात दस-वर्ष निर्धारित नहीं करता है।

आकस्मिक श्रमिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए सेवा मानदंड, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा समझा गया है। इस प्रकार, कई कैलेंडर वर्षों में फैले जुड़ाव की अवधि (और योजना के तहत अनिवार्य रूप से एक वर्ष नहीं) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं हो सकती थी

[2021] 9 एस सी आर।

आदेश (22.01.2010), अन्य आवेदकों के बीच प्रत्यर्थी के नियमितीकरण दावे को खारिज करते हुए, उसमें इस स्वीकारोक्ति को नोट किया था कि उन्होंने नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था किसी भी वर्ष में 240 दिन। अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक समिति के निष्कर्षों में कोई कमजोरी स्थापित करने में विफल रहे हैं। न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड पर लिया गया। उच्च न्यायालय के दिनांकित आई. डी. 2 और आई. डी. 3 के विवादित निर्णयों के साथ-साथ टी. ए. संख्या आई. डी. 4 में न्यायाधिकरण का दिनांकित आई. डी. 1 का आदेश भी अस्थिर पाया गया है। उसी के अनुसार उन्हें अलग कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। [पारस 20-23] [889-G-H; 890-B-D]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य। बनाम उमादेवी और

ओआरएस। (2006) 4 एससीसी 1: [2006] 3 एससीआर 953-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 3 एससीआर 953

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.7707

7708 2021 से।

उच्च न्यायालय के 31.05.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.991 में गुवाहाटी (असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय)।

दिनेश अगनानी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, पीयूष शर्मा, सुश्री लीना टुटेजा, अधिवक्ता।

अपीलार्थी के लिए।

सुरेंद्र पत्री, राम किशोर चौधरी, सुश्री तरुणा कांत

सामंत्रे, सुश्री किरण महतो, वेलास्री एस., सुश्री बेबी देवी बोनिया, सुश्री सलोनी सरन, रॉबिन खोखर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

भारत शंकर निगम लिमिटेड। वी. श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय [ऋषिकेश रॉय, जे.]

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश अगनानी को सुना। विद्वान वकील श्री सुरेंद्र पैट्री को भी सुना।

प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करना (केंद्र के समक्ष मूल आवेदक) प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण")।

3. यहाँ चुनौती 31.5.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश के लिए है जिसके तहत, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 991/में

2017 अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका ने न्यायाधिकरण द्वारा 25.8.2015 पर पारित आदेश को बरकरार रखा और इसे अस्थायी दर्जा प्रदान करने का निर्देश दिया था।

प्रत्यर्थी, विभाग की आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितकरण का अनुदान) योजना योजना के तहत दूरसंचार, 1989 (इसके बाद "1989 योजना" के रूप में संदर्भित)। अपीलार्थी उस दिनांकित 4.6.2019 आदेश का भी विरोध करता है जिसके द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका 59/2019 को खारिज कर दिया था।

आदेश दिनांकित 31.5.2018।

4. 1989 की योजना के तहत, आकस्मिक कर्मचारी जो योजना के लागू होने के दिन बी. एस. एन. एल. में काम कर रहे हैं, यानी 1.10.1989 और जिन्होंने कम से कम एक साल की निरंतर सेवा प्रदान की थी, और इस एक साल की अवधि में से वे, जो कम से कम 240 वर्षों से लगे हुए हैं।

दिन, अस्थायी स्थिति प्रदान किए जाने के हकदार हैं। आकस्मिक श्रमिकों का संघ आकस्मिक श्रमिकों की ओर से आंदोलन कर रहा था अस्थायी स्थिति सुनिश्चित करना। इस मुद्दे को हल करने के लिए, एक समिति थी

आकस्मिक श्रमिकों के अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए गठित किया गया है कि उनमें से कौन 1989 की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

5. इसमें प्रत्यर्थी 19.1.2004 पर समिति के समक्ष पेश हुआ था और विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन पर, समिति के सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था। वर्ष 1989 में 4 दिनों के लिए; 1992 में 29 दिन; 1993 में 17 दिन; 1994 में 38 दिन; 1995 में 38 दिन; 1996 में 34 दिन; 1997 में 37 दिन और 1998 में 17 दिन, वर्ष में आवश्यक 240 दिनों से काफी कम। यह भी नोट किया गया कि अस्थायी स्थिति के दावे के समर्थन में, 1995 (239 दिन), 1996 (240 दिन), 1997 (250 दिन), 1998 (89 दिन) से संबंधित वर्ष में बहुत लंबी अवधि के लिए अनुबंध का दावा किया गया था, लेकिन प्रतिवादी समिति के समक्ष कोई मूल दस्तावेज पेश करने में विफल रहा।

6. सेवा रिकॉर्ड के सत्यापन पर, समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 29.8.2005 में कहा कि प्रतिवादी ने सेवा रिकॉर्ड को पूरा नहीं किया।

योग्यता मानदंड क्योंकि उन्होंने 12 कैलेंडर महीनों में "240 दिन" पूरे नहीं किए थे। समिति के समक्ष, बी. एस. एन. एल. अधिकारियों ने अतिरिक्त [2021] 9 एस. सी. आर.

उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किए गए प्रमाणपत्रों की फोटोस्टैट प्रतियां कभी भी बी. एस. एन. एल. के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी नहीं की गईं। प्रासंगिक

समिति के अंतिम निष्कर्ष का हिस्सा नीचे दिया गया है:

" उपरोक्त साक्षय और साक्षय को ध्यान में रखते हुए, समिति ने

पता चला कि आवेदक श्री देव कुमार राय ने पूरा कर लिया है

01.01.1995 के दौरान 12 कैलेंडर महीनों में अधिकतम 38 दिन

31.12.1995 और इस प्रकार आवेदक अनुदान का हकदार नहीं है

योजना, 1989 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी स्थिति।

99

7. समिति के उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी गई थी

2006 की रिट याचिका (सी) No.2158 दायर करके उच्च न्यायालय में प्रतिवादी जिसे 8.4.2009 पर न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था और याचिका को टी. ए. सं. 30/2009 के रूप में क्रमांकित किया गया था। इसी तरह के मामले समान थे

न्यायाधिकरण द्वारा विचार किए गए और सामान्य आदेश (22.1.2010) में न्यायाधिकरण ने समिति के निष्कर्ष को स्वीकार किया और राय दी कि चूंकि समिति ने दोनों पक्षों द्वारा उसके समक्ष रखी गई सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार किया था, इसलिए आवेदकों द्वारा अस्थायी स्थिति का दावा करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और तदनुसार टीए और संबंधित याचिकाओं को न्यायाधिकरण द्वारा 22.1.2010 पर खारिज कर दिया गया था।

8. जब इसे चुनौती दी गई थी, तो उच्च न्यायालय ने अपनी आम याचिका के माध्यम से

रिट याचिका (सी) संख्या 2945/2011 में दिनांकित 19.3.2013 आदेश ने न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार कर दिया और मामले को नए निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। रिमांड आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि आवेदकों और विभाग (योजना के तहत लाभों की पात्रता पर) के पूरी तरह से विरोधाभासी तथ्यात्मक दावे को देखते हुए, पक्षों के साक्षय को

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "1985 अधिनियम") की धारा 22 (3) के तहत अनुमति के अनुसार दर्ज करना होगा। तदनुसार, पक्षों के साक्षय दर्ज करके मुद्दे के नए निर्णय का निर्देश दिया गया था।

9. उपरोक्त के बाद, न्यायाधिकरण ने मामले पर पुनर्विचार किया,

एक बार फिर समिति की दिनांकित 29.8.2005 की रिपोर्ट पर विचार करते हुए, और

नोट किया कि GM.T.D के कार्यालय से सत्यापित वास्तविक रिकॉर्ड के अनुसार। , कामरूप, आवेदक को वर्ष 1989 में 4 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था; 1992 में 29 दिन; 1993 में 17 दिन; 1994 में 38 दिन; 1995 में 38 दिन; 1996 में 34 दिन; 1997 में 37 दिन और 1998 में 17 दिन। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों की फोटोकॉपी के बगल में विज्ञापन देते हुए, यह देखा गया कि आवेदक को 1989 से 1998 तक कुछ कृत्रिम अवकाशों के साथ काम करने के लिए बनाया गया था। इस तरह के गुप्त टिप्पणियों के साथ और बिना किसी और सबूत के भारत शंकर निगम लिमिटेड।

वी. श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय [ऋषिकेश रॉय, जे.]

या सामग्री, न्यायाधिकरण ने आवेदक के पक्ष में एक आदेश पारित किया 25.8.2015 टी. ए. सं. 30/2009 में।

10. न्यायाधिकरण के आदेश को अपीलार्थी ने दायर करके चुनौती दी थी

डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 991/2017 जहाँ न्यायाधिकरण द्वारा रिमांड आदेश (19.3.2013) में उच्च न्यायालय के पहले के निर्देशों के संदर्भ में 1985 के अधिनियम की धारा 22 (3) के तहत प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने के बारे में एक विशिष्ट याचिका दायर की गई थी।

11. विभाग ने उच्च न्यायालय के समक्ष फिर से तर्क दिया कि

प्रत्यर्थी 12 महीनों में 240 दिनों तक काम करने के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और यह कि उसने मनगढ़ंत प्रमाणपत्रों पर भरोसा किया था जो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं और बिना रिकॉर्डिंग के हैं।

अन्यथा निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी साक्षय, न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दर्ज करने का विकल्प चुना जो किसी भी स्वीकार्य सामग्री द्वारा समर्थित नहीं था। वास्तव में, एक गलत निष्कर्ष निकाला गया था जिसका उद्देश्य इसके विपरीत से समर्थन प्राप्त करना था। समिति द्वारा तैयार किया गया निष्कर्ष, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आवेदक 1989 की

योजना के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी स्थिति का हकदार नहीं है। विभाग ने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। बनाम उमादेवी और अन्य। ' यह तर्क देना कि 1989 की योजना की नींव ध्वस्त हो गई थी और उक्त योजना के तहत कोई राहत का दावा नहीं किया जा सकता है।

12. उच्च न्यायालय ने दिनांक 31.5.2018 के विवादित फैसले के तहत,

हालाँकि बी. एस. एन. एल. द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था, जहाँ अदालत ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियों को गलत तरीके से देखने के लिए कहा था कि उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर विभाग द्वारा विवाद नहीं किया गया है। इस तरह के निष्कर्ष के साथ, प्रतिवादी के पक्ष में न्यायाधिकरण के दिनांक 1 के फैसले को बरकरार रखा गया और रिट याचिका को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया:

****

*****

****

****

न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी थी
इस तथ्य के स्पष्ट निष्कर्ष को दर्ज करना कि याचिकाकर्ता ने काम किया था

" देखने के लिए विभाग द्वारा गठित जिम्मेदार समिति
ऐसे मामलों के साथ-साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्षय में

एस. डी. ई./जे. टी. ओ. द्वारा

1 (2006) 4 एससीसी 1 [2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रिट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील किसी भी ऐसी सामग्री की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं हुए हैं जो याचिका को हटाने के लिए जाए।
विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्ष। ”

13. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, दिनांक 4.6.2019 के आदेश के माध्यम से, और इस आदेश को भी इस मामले में चुनौती दी गई है।

14. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दिनेश अगनानी बताते हैं कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों इस बात की सराहना करने में विफल रहे कि 1989 की योजना का उद्देश्य एक बार के उपाय के रूप में है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है -

आकस्मिक श्रमिकों और प्रत्यर्थी को अस्थायी दर्जा प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड ने 12 महीनों में 240 दिनों तक काम नहीं किया था और इसलिए योजना के तहत किसी भी लाभ के लिए अयोग्य है। इसके अलावा, सक्षम समिति का निष्कर्ष होने के नाते, न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के लिए कोई भी सबूत दर्ज किए बिना या किसी भी स्वीकार्य सामग्री को स्वीकार किए बिना, प्रतिवादी के पक्ष में गलत तथ्यात्मक निष्कर्ष देने का कोई औचित्य नहीं था, उच्च न्यायालय द्वारा 20.11.2013 पर जारी विशिष्ट निर्देश के बावजूद जब उसने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया था। विद्वान वकील का तर्क है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की फोटोस्टैट प्रतियां विभागीय रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं और इसलिए भरोसेमंद दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियों की प्रामाणिकता निर्धारित करने के लिए कोई सबूत दर्ज किए बिना, न तो न्यायाधिकरण और न ही उच्च न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकता था कि आवेदक योजना के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।

15. इसके विपरीत, श्री सुरेंद्र पैट्री, विद्वान वकील

प्रत्यर्थी का तर्क है कि प्रत्यर्थी 1989 की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लंबे समय से मुकदमा कर रहा है और चूंकि न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में राहत दी है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य नहीं है। 16. 1989 की योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रत्यर्थी के लिए यह स्थापित करना आवश्यक था कि वह पात्रता को संतुष्ट करता है

योजना के तहत निर्धारित मानदंड और कम से कम 240 के लिए काम किया था

12 महीनों में दिन। तथ्यात्मक विवाद को हल करने के लिए, उच्च न्यायालय ने अपने पहले दौर में मामले को रिमांड पर लेते हुए न्यायाधिकरण को साक्षय दर्ज करने का निर्देश दिया। हालाँकि, न्यायाधिकरण के दिनांकित 25.8.2015 आदेश से पता चलता है कि प्रतिवादी के पक्ष में निष्कर्ष निकालने का एकमात्र आधार दिनांकित 29.8.2005 समिति की रिपोर्ट/कार्यवाही थी।

समिति भारत संचार निगम लिमिटेड। वी. श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय [ऋषिकेश रॉय, जे.]

हालाँकि अभिलेखों के सत्यापन पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी ने 1.1.1995 से 31.12.1995 के दौरान 12 कैलेंडर महीनों में अधिकतम 38 दिन पूरे कर लिए हैं और इस तरह वह निम्नलिखित अस्थायी स्थिति के लिए अयोग्य है।

1989 से 1998 के दौरान और उस आधार पर, प्रतिवादी को राहत दी गई थी। लेकिन न्यायाधिकरण ने कभी भी तथ्य निर्धारित करने के लिए कोई सबूत दर्ज नहीं किया विवाद और इसके बजाय 1989 से 1998 तक 10 वर्षों के दौरान प्रतिवादी की सेवा को 12 कैलेंडर महीनों में 240 दिनों की सेवा की आवश्यकता की गणना करने के लिए गलती से ध्यान में रखा गया था।

17. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के गलत निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा आवेदन अर्थात -

समिति द्वारा दिए गए निष्कर्ष को संक्षेप में दरकिनार कर दिया गया। इसके अलावा, हालांकि यह बताया गया था कि निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री के विपरीत है, लेकिन इस अवलोकन के साथ इसकी अवहेलना की गई कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने रिपोर्ट पर विचार किया था और आवेदक को राहत दी थी। तदनुसार पुनरीक्षण याचिका 4.6.2019 पर खारिज कर दी गई। 18. समिति, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, ने स्पष्ट रूप से दर्ज किया था कि प्रतिवादी ने 12 कैलेंडर महीनों में अधिकतम 38 दिन पूरे कर लिए हैं।

1.1.1995 से 31.12.1995 के दौरान और इस तरह आवेदक दूरसंचार विभाग, 1989 की आकस्मिक श्रमिक (अस्थायी स्थिति और नियमितीकरण का अनुदान) योजना के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी स्थिति प्रदान करने का हकदार नहीं है। यद्यपि समिति के इस स्पष्ट निष्कर्ष को न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा नोट किया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवादी को नियमित करने का आदेश दिया गया था। इसके विपरीत निष्कर्ष के लिए, न्यायाधिकरण ने पहले दौर में उच्च न्यायालय के दिनांकित रिमांड आदेश के संदर्भ में कोई जांच या कोई सबूत दर्ज नहीं किया। इसलिए यह देखा जाता है कि निष्कर्ष बिना किसी भौतिक आधार के निकाला जाता है।

19. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में निकाला गया निष्कर्ष समिति द्वारा 29.8.2005 पर दर्ज किए गए तथ्यात्मक निष्कर्ष के विपरीत है। समिति की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि आवेदक अपने दावे का समर्थन करने के लिए मूल रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

समिति ने आगे कहा कि प्रमाण पत्र अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए थे और ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता स्थापित नहीं की गई है।

20. इस स्तर पर, 1989 की योजना के खंड 5 (i) को निकालना उचित है, जिसमें अस्थायी प्रदान करने के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है। आकस्मिक श्रमिकों की स्थिति।

" 5. अस्थायी स्थिति

(i) वर्तमान में कार्यरत सभी आकस्मिक श्रमिकों को अस्थायी दर्जा प्रदान किया जाएगा और जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है, जिसमें से वे 240 दिनों की अवधि (सप्ताह में पांच दिन काम करने वाले कार्यालयों के मामले में 206 दिन) के लिए कार्यरत रहे होंगे।

अस्थायी मजदूर "।

उपरोक्त खंड यह स्पष्ट करता है कि आवेदक की आवश्यकता थी

किसी दिए गए कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के लिए व्यस्त होना। समिति के निष्कर्षों से पता चला कि प्रतिवादी ने एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 38 दिनों तक सेवा की थी और वह अयोग्य था।

21. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश (25.8.2015) में इस बात पर भरोसा किया है कि

उमा देवी (ऊपर) में 1989 से 1998 के दौरान सेवा अवधि पर विचार करने के लिए 240 दिनों की सगाई की गणना करने का निर्णय। हालाँकि, पात्रता पर विचार करने के इस तरीके को उमा में अनुपात से समर्थन नहीं मिलता है।

देवी। इसे समझने के लिए, हमें न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन की राय को पढ़ने से लाभ होता है, जिन्होंने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए एक बार के उपाय के रूप में अनियमित रूप से नियुक्त श्रमिकों को नियमित करने के मुद्दे पर निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

53. ..... ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ अनियमित नियुक्तियाँ (अवैध नियुक्तियाँ नहीं) जैसा कि एस. वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एस. सी. आर. 128 में समझाया गया है: ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1071], आर. एन. नंजुंडप्पा [(1972) 1 एस. सी. सी. 409: (1972) 2 एस. सी. आर. 799 और बी. एन. नागराजन [(1979) 4 एस. सी. सी. 507: 1980 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 4: (1979) 3 एस. सी. आर. 937] और उपरोक्त पैरा 15 में निर्दिष्ट, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों में विधिवत योग्य व्यक्तियों को बनाया गया होगा और कर्मचारियों ने दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा होगा, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। नियमितीकरण का सवाल

ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के गुण-दोष के आधार पर इस निर्णय से संबंधित मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जा सकता है। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके उपकरणों को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिनके पास भारत संचार निगम लिमिटेड है।

वी. श्री देव कुमार राय @देव कुमार राय [ऋषिकेश रॉय, जे.]

दस वर्ष या उससे अधिक समय तक विधिवत स्वीकृत पदों पर कार्य किया, लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के दायरे में नहीं और
यह भी सुनिश्चित करें कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारियों या दिहाड़ी मजदूरों को नियुक्त किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर शुरू किया जाना चाहिए।

तिथि. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि पहले से ही किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार पर फिर से खोले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।

आवश्यकता और नियमित करना या स्थायी बनाना, जो विधिवत नहीं हैं

संवैधानिक योजना के अनुसार नियुक्त "।

22. उपरोक्त अनुपात, जैसा कि देखा जाता है, अनियमित नियुक्तियों से संबंधित था, जो इस मामले में बहुत प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, अनुपात आकस्मिक श्रमिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए दस साल के सेवा मानदंड को निर्धारित नहीं करता है, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा समझा गया है। इस तरह, सगाई की अवधि चारों ओर फैल रही है

कई कैलेंडर वर्षों (और योजना के तहत अनिवार्य रूप से एक वर्ष नहीं) को उन वर्षों में सेवा में अंतराल को 'कृत्रिम अवकाश' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। गणना का यह तरीका उमा देवी के आदेश के साथ-साथ प्रतिवादी को नियंत्रित करने वाले निर्धारित मानदंडों के साथ असंगत है। यह भी देखा गया है कि न्यायाधिकरण ने अपने आदेश (22.01.2010) में, अन्य आवेदकों के बीच प्रतिवादी के नियमितीकरण दावे को खारिज करते हुए, इसमें स्वीकार किया था कि उन्होंने किसी भी वर्ष में 240 दिनों की नियुक्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। अंततः यह अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक समिति के निष्कर्षों में कोई कमजोरी स्थापित करने में विफल रहे हैं। पूरा करने के लिए, हम नोट कर सकते हैं कि

न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश में हस्तक्षेप किया गया और उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड दिया गया, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।

23. ऐसी स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय के दिनांकित 31.5.2018 और 4.6.2019 के विवादित निर्णयों के साथ-साथ टी. ए. सं. 30/2009 में न्यायाधिकरण का दिनांकित 25.8.2015 का आदेश भी अस्थिर पाया गया है। उसी के अनुसार उन्हें अलग कर दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

दिव्या पांडे लागत पर किसी भी आदेश के बिना उपरोक्त आदेश के साथ अपील की अनुमति है।